

आसरा एवं सपना एन्वलेव

पंजीकरण अवधि :
18 सितम्बर, 2015 से
30 अक्टूबर, 2015 तक

मण्डोला विहार (दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना) गाजियाबाद

गाजियाबाद के सेक्टर-4-ए, एवं सेक्टर-5 में
आंशिक स्व वित्त पोषित सर्व सुलभ बहुमंजिली (चार मंजिला) आवासीय परियोजना-2015

भवनों का कार्य प्रगति पर

फ्लैट्स प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर



सर्वोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in



आसरा एवं सपना एन्कलैव

- ❖ परिसर की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है, परिसर में एक मल्टीपरपज हाल / कम्युनिटी सेन्टर, प्रस्तावित किया गया है।
- ❖ आसरा भवन आर०सी०सी० फ्रेम स्ट्रक्चर में भूकम्परोधी एवं सपना भवन शियरवाल तकनीकी से निर्माणाधीन।
- ❖ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान।
- ❖ दिल्ली-सहारनपुर मार्ग (4 लेन निर्माणाधीन) पर स्थित है।
- ❖ अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई०एस०बी०टी०) से 15 किमी० दूर है।
- ❖ लोनी रेलवे स्टेशन से 5 किमी० दूर है।
- ❖ मेट्रो रेलवे स्टेशन शाहदरा से 10 किमी० दूर है।
- ❖ यू०पी०एस०आई०डी०सी० के ट्रोनिका सिटी से लगा हुआ है।
- ❖ दिल्ली की सीमा से मात्र 4 किमी० दूर है।
- ❖ सिगनेचर ब्रिज से सीधा सम्पर्क मार्ग।



आसरा एन्कलेव एवं सपना एन्कलेव

मण्डोला विहार (दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना) के सेक्टर-4ए एवं सेक्टर-5, गाजियाबाद।



Aasra Type-I



UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA 29.50 SQ.M.
SUPER BUILT UP AREA 33.59 SQ.M.

4 FLATS

4 FLATS

4 FLATS

4 FLATS

16 FLATS

Aasra Type-I Unit Cluster Plan



Aasra Type-II



Aasra Type-II Unit Cluster Plan



Sapna Type -I



Sapna Type-I Unit Cluster Plan



2BHK CLUSTER PLAN

Sapna Type-II



Sapna Type-II Unit Cluster Plan



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना ।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना ।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके ।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है ।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा ।

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित मण्डोला विहार (दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना), गाजियाबाद के सेक्टर-4ए एवं सेक्टर -5 में आसरा एन्क्लेव एवं सपना एन्क्लेव में प्रस्तावित स्व वित्त पोषित सर्व सुलभ बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष 2015, में फ्लैट्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है। फ्लैट्स के विवरण, मूल्य एवं विशिष्टियाँ निम्नवत प्रस्तावित है।

क्र0सं0	फ्लैट का प्रकार	निर्मित क्षेत्रफल	सुपर एरिया (व0मी0)	प्राविधान
1.	आसरा टाइप- I	29.50	33.59	लिविंग रुम ,1 बेडरूम,किचन,1 बालकानी,1 W.C, 1 बाथ
2.	आसरा टाइप- II	41.54	47.73	लिविंग-डायनिंग रुम ,1 बेडरूम,किचन, 2 बालकानी,1 W.C,1 बाथ
3.	सपना टाइप- I	57.44	64.72	लिविंग-डायनिंग रुम ,2बेडरूम,किचन, 2 बालकानी,2 ट्वायलेट,
4.	सपना टाइप- II	79.98	86.04	लिविंग एवं डायनिंग लाबी ,3बेडरूम,किचन, 2 बालकानी, 2 ट्वायलेट,

आसरा टाइप- I

आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर-भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, **फर्श**: सेरेमिक फ्लोर टाइल्स, **ट्वायलेट**: फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, **चौखट**: एंगिल आयरन, **दरवाजे**: फ्लश डोर शटर्स, **खिडकियां**: जेड सेक्शन, **रंग रोगन**: कलर लाइन वाश, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर एपेक्स, **विद्युत**: अग्निरोधक कापर वायरिंग।

आसरा टाइप- II

आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर-भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, **फर्श**: सेरेमिक फ्लोर टाइल्स, **ट्वायलेट**: फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, **चौखट**: एंगिल आयरन, **दरवाजे**: फ्लश डोर शटर्स, **खिडकियां**: जेड सेक्शन, मच्छर जाली सहित **रंग रोगन**: कलर लाइन वाश, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर एपेक्स, **विद्युत**: अग्निरोधक कापर वायरिंग।

सपना टाइप- I

शियरवाल स्ट्रक्चर-भूकम्परोधी एवं शियरवॉल स्ट्रक्चर, **फर्श**: सेरेमिक फ्लोर टाइल्स, **ट्वायलेट**: फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर ज्योइन्ट लैस सेरेमिक टाइल्स, **चौखट**: मुख्य चौखट मलेशियन सालवुड एवं अन्य एंगिल आयरन, **दरवाजे**: मुख्य दरवाजा टीक फिनिश एवं शेष फ्लश डोर शटर्स, **खिडकियां**: प्रेस स्टील/एंगल आयरन चौखट तथा प्री लेमिनेटेड वुड शटर मच्छर जाली सहित, **रंग रोगन**: आयल बाउन्ड डिस्टेम्पर, बाहरी सतह पर एपेक्स तथा अन्दर दरवाजों पर एनेमल पेन्ट/पॉलिश **विद्युत**: अग्निरोधक कापर वायरिंग एवं गीजर व ए0सी0 प्वाइंट का अतिरिक्त प्राविधान।

सपना टाईप- II

शियरवाल स्ट्रक्चर—भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, **फर्श** : सेरेमिक फ्लोर टाइल्स, **ट्वायलेट** : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर ज्योइन्ट लैस सेरेमिक टाइल्स, **चौखट** : मुख्य चौखट मलेशियन सालवुड एवं अन्य एंगिल आयरन, **दरवाजे** : मुख्य दरवाजा टीक फिनिश डोर एवं शेष फ्लश डोर शटर्स, **खिडकियां** : प्रेस स्टील/एंगिल आयरन चौखट तथा प्री लेमिनेटेड वुड शटर मच्छर जाली सहित, **रंग रोगन** : आयल बाउन्ड डिस्टेम्पर, बाहरी सतह पर एपेक्स तथा अन्दर दरवाजों पर एनेमेल पेन्ट/पालिश **विद्युत** : अग्निरोधक कापर वायरिंग एवं गीजर व ए0सी0 प्वाइंट का अतिरिक्त प्राविधान।

फ्लैटों का विवरण

क्रम सं०	फ्लैट का प्रकार	सम्पत्ति कोड	फ्लैट्स की श्रेणी	फ्लैटों की तल वार अनुमानित लागत (रू०—लाख में)	सुपर एरिया (वर्गमी०)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमी०)	भवनों की संख्या (04 मंजिले भवनों हेतु)	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित अनुमानित लागत (रू०—लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रू० में)	चयन के पश्चात् मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रू० में)	कुल अनुमानित मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान हेतु अवशेष धनराशि 3 द्विमासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की राशि) धनराशि (रू० में)	शेष 50% धनराशि ब्याज सहित 120 मासिक किश्तों में देय होगी
1	आसरा टाईप-I	A-I	स्व०वित्त पोषित	भूतल 11.15 प्रथम तल 9.75 द्वितीय तल 9.60 तृतीय तल 9.45	33.59	29.50	811	9.45	47000.00	253000.00	57500.00	
2	आसरा टाईप-II	A-II	स्व०वित्त पोषित	भूतल 16.50 प्रथम तल 14.55 द्वितीय तल 14.30 तृतीय तल 14.10	47.73	41.54	103	14.10	70000.00	383000.00	84000.00	
3	सपना टाईप-I	S-I	स्व०वित्त पोषित	भूतल 26.55 प्रथम तल 23.90 द्वितीय तल 23.60 तृतीय तल 23.30	64.72	57.44	138	23.30	117000.00	712000.00	112000.00	
4	सपना टाईप-II	S-II	स्व०वित्त पोषित	भूतल 35.30 प्रथम तल 31.70 द्वितीय तल 31.30 तृतीय तल 30.90	86.04	79.98	183	30.90	154000.00	920000.00	157000.00	

नोट:-फ्लैटों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

आवश्यक विवरण

- 1 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट का निर्माण होने पर तल का निर्धारण लाटरी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार निर्धारित मूल्य देय होगा। पंजीकरण धनराशि एवं किशतों की धनराशि की मांग न्यूनतम अनुमानित लागत पर की गयी है। प्रस्तावित निर्माण प्रगति पर है एवं निर्माण कार्य 9 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। सम्पत्ति के निर्धारित वर्तमान अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढोत्तरी सम्भव है।
- 2 भवनों की टाईप डिजाइन व ले-आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 प्रत्येक आवंटी को भवन के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री होल्ड चार्ज पात्रता चयन तिथि को तत्समय प्रचलित भूमि दर पर देना होगा।
- 4 आसरा टाइप-1 एवं आसरा टाइप-2 भवन हेतु प्रत्येक के आवंटी को दुपहिया वाहनो के आवंटियो हेतु एक खुली पार्किंग स्पेस आवंटित किया जायेगा। सपना टाईप-1 एवं सपना टाईप-2 के भवनो हेतु प्रत्येक को एक खुली कार पार्किंग स्पेस आवंटित की जायेगी। आसरा-1 एवं 2 में दो पहिया पार्किंग हेतु स्पेश आवंटित कर प्रति भवन रू0-15000.00 अतिरिक्त देय होगा एवं सपना-1 एवं 2 में खुली कार पार्किंग आवंटित कर प्रति भवन रू0-75000.00 अतिरिक्त देय होगा यह धनराशि प्रत्येक दशा में किशत किराया अनुबंध / विक्रय विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करनी होगी।
- 5 परिसर का रख-रखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त 'रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी' द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 6 भवन की डिजाईन में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, जो आवंटी को मान्य होंगे।
- 7 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कार्पस फण्ड" में निर्धारित धनराशि किशत किराया अनुबंध / पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि आसरा टाइप-1 हेतु रू0-20000.00 आसरा टाइप-2 हेतु रू0-45000.00 सपना टाइप-1 हेतु रू0-65000.00 एवं सपना टाईप-2 हेतु रू0-85000.00 देय होगी। योजना में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आना वाला व्यय आवंटियों को समिति को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटी को देना होगा।
- 8 उपरोक्त भवनो में भूमि मूल्य का विभाजन तल-वार मूल्यांकन गाइड लाइन्स के प्रस्तर-17.3 के अनुसार 40:22:20:18 के अनुसार में किया गया है। निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त अवशेष भूमि कामन सर्विसेज के लिये है जिसकी लागत प्रत्येक तल में बराबर-2 बॉट दी गयी है। उपरोक्त भवनो में कोई भी अतिरिक्त भूमि को विक्रय करने का प्राविधान नहीं है। भवनो की छत पर किसी तल विशेष के आवंटी का स्वामित्व नहीं होगा।
- 9 भवन में विक्रय मूल्य अनुमानित है, परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार भवन का मूल्य देय होगा। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियत किशत की धनराशि घट बढ सकती है।

- 10 प्रत्येक आवंटी को भवन में समाहित भूमि का मूल्य, पात्रता चयन तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार देना होगा। भूमि मूल्य पर नियमानुसार फ्री होल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
- 11 सर्विस टैक्स नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा, जिसका भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
- 12 यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे वैट, जी0एस0टी0 आदि आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।
- 13 उक्त भवनों के क्षेत्र में आवंटित भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर परिषद का स्वामित्व होगा एवं उनके निष्कारण का पूर्ण अधिकार परिषद के पास होगा।

पंजीकरण हेतु पात्रता

- 1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- 4 गाजियाबाद नगर में कोई भी भवन/भूखण्ड आवेदित परिवार जिसमें पति-पत्नी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं, नहीं होना चाहिए।

पंजीकरण के नियम

- 1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क़य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। पति-पत्नी द्वारा एकल नाम से अथवा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है परन्तु विशेषतः पति-पत्नी द्वारा अलग-अलग आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- 5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती

करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

- 6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किशत जमा करने के एक वर्ष बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किशत जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 7 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/ आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

भुगतान का तरीका

- 1 भुगतान की तिथि एवं किशतों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किशत की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है। तथा शेष धनराशि 03 त्रैमासिक किशतों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के माध्यम से स्वीकार होगा।
- 2 चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 02 माह के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जा सकता है।
- 3 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किशत की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ दण्ड ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किशतों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किशत की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 6 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किशतों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चैक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आंशिक एस0एफ0एस0 परियोजना 2015" के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हूँ, मांग-पत्र में अधिकृत

बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

आवंटन नियम :

- 1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता झा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदको की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर फ्लैटों की उपलब्ध की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदको की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। तलो का निर्धारण लाटरी झा द्वारा किया जायेगा एवं लाटरी झा द्वारा जो भवन आवंटित होगा उसकी वास्तविक मूल्यांकन का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- 5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 7 आवंटित सम्पत्ति का कब्जा किशत किराया क्रय अनुबंध/विक्रय विलेख हेतु निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के पश्चात सम्बंधित सब रजिस्ट्रार कार्यालय पे किशत किराया अनुबंध/विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त प्रदान किया जायेगा।

आरक्षण:

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटस में निर्गत आरक्षण शासन / परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। वर्तमान समय में उ०प्र० में विद्यमान जिलों से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। -----तदेव-----
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदेव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदेव-----
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राविधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। उ०प्र० राज्य की सेवा में तथा उ०प्र० राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध कराये।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (नेत्रहीन विकलांग को 01 प्रतिशत एवं अन्य विकलांग को 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा)
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेश के प्राधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को 45 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 2 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 12 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 3 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 4 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

तथ्यो का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर अधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 3 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमत्य होगा।
- 4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।
- 8 सम्पत्ति का पात्रता झा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित होगा। सम्पत्ति के तल के अनुसार अधिकतम अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर सम्भावित है। पुस्तिका में सूचित अनुमानित अधिकतम मूल्य का 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें
- 3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2 में दिये गये विवरण से आसरा एन्कलेव एवं सपना एन्कलेव में किसी एक को भरना होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-7 पर उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्था को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O

होरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

- 12 बैंक ड्राफ्ट/चे-आर्डर को लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एस0एफ0एस0 आवासीय योजना 2015' (UPAVP SFS HOUSING SCHEME 2015) जो गाजियाबाद/दिल्ली में देय होगा।
- 13 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-13 में दिया जायेगा अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 14 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक ही एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
- 15 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 16 अपूर्ण आवेदन पत्र/ आवेदन पत्रों में कटिंग किये हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 17 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 18 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
- 19 आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा। समस्त संलग्नकों पर आवेदन पत्र संख्या अंकित करते हुए स्वप्रमाणित करें।
- 20 तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “प्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड में है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :-

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यू0एस0, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बँतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डियेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- (3) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्वयं को आरक्षण का लाभ देय है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो वर्तमान में उ0प्र0 राज्य सीमा के अधीन विद्यमान जिलों के सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

शपथ पत्र/घोषणा पत्र

समक्ष:-आवास आयुक्त

- मैं श्री / श्रीमती / कु० पुत्र / पत्नी उम्र
- निवासी
- यह शपथ पूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि:-
- 1 मैं उपरोक्त नामित एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
 - 2 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन कय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूंगा / दूंगी।
 - 3 मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।
 - 4 मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
 - 5 मैं एतद्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिये है तो परिषद को ' मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझे।
 - 6 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / केताओ की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।
 - 7 मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती जो रिश्ते में मेरे / मेरी हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती जो मेरे / मेरी हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स:-

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंको की सूची

क्र०सं०	शाखा का नाम	फोन नं./मो.
1	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर-4, मेवाड़ इन्सटीट्यूट, वसुन्धरा, गाजियाबाद (नोडल शाखा)	0120-2698273
2	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, बी-193, राहुल पैलेस, लोहिया नगर, गाजियाबाद।	0120-2714546
3	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर-20जी, कामर्शियल काम्प्लैक्स नोएडा।	0120-2553408
4	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, दिल्ली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ।	0121-2513839 08979567979
5	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, हर्षा, भवन, ई-ब्लाक, कनाट पैलेस, दिल्ली।	011-23417624
6	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, 512, नीतिखण्ड-1, इन्दिरापुरम, (निकट-स्वर्णजयन्ती पार्क) गाजियाबाद।	0120-2690229 9350105348
7	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, आर्यन पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद।	0120-2775099, 9650392242
8	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेन्ट एन्ड्रू स्काट, सि०सेकेन्ड्री स्कूल, 9 एवेन्यू, आई०पी० एक्सटेन्शन, पटपड गंज दिल्ली-92	011-22241142, 9990399613
9	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद	0120-2696524

कैनरा बैंक:-

क्र०सं०	शाखा का नाम	फोन नं./मो.
1	कैनरा बैंक, मण्डोला विहार, गाजियाबाद (नोडल शाखा)	0120-2694900, 7840004240
2	कैनरा बैंक, मुख्य शाखा, मालीवाडा चौक, गाजियाबाद	0120-2793451
3	कैनरा बैंक, सेक्टर-9, एल्फा टावर, वसुन्धरा गाजियाबाद	0120-2885501

नोट:-असफल आवेदको की धनराशि की वापसी नोडल शाखाओ द्वारा ही की जायेगी। विस्तृत नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका से देखी जा सकती है।

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक
भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

अभियन्त्रण अनुभाग

- | | |
|--|-------------|
| 1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डोला वृत्त, गाजियाबाद | 08588877003 |
| 2. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-10, मण्डोला गाजियाबाद | 08588877002 |
| 3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-22, मण्डोला गाजियाबाद | 09810395391 |
| 4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-36, मण्डोला गाजियाबाद | 09711206123 |
| 5. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-38, मण्डोला गाजियाबाद | 09654393330 |

सम्पत्ति अनुभाग

- | | |
|---|--------------|
| 1. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद | 0120-2882025 |
| 2. अपर आवास आयुक्त मेरठ जोन, मेरठ | 0121-2760415 |

Website : <http://www.upavp.com>

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद (सेक्टर-4ए एवं 5) में प्रस्तावित "आसरा एवं सपना इन्क्लेव" में बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजनान्तर्गत बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

प्रथम चरण (Step-1) :

आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Aashra & Sapna Enclave, Mandola Vihar Yojna (Delhi-Saharanpur Road), Ghaziabad पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाईन फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात अगले कार्यदिवस (अपरान्ह 12 बजे के बाद) में निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats "
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' webpage will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone available option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID(DU....No)प्रदान किया जायेगा।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "UPAVP SFS Housing Scheme-2015" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

*MOPS: Multi Option Payment System


द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के अगले कार्यदिवस (अपरान्ह 12 बजे के बाद) / पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक Online Registration of flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Referenece No./Transaction ID (DUxxxxxx..No) भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

"उप आवास आयुक्त
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
हॉल संख्या एस-1, आफिस काम्पलेक्स,
वसुन्धरा योजना,
गाजियाबाद (उ0 प्र0)-201012"

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रु. 500/- देकर प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।
पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।



TRANSPORT LAYOUT PLAN

LEGENDS:
CH=CHAINAGE



मूल्य : ₹ 476 + 24/- (विट चार्ज सहित)

जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए सम्पर्क करें
परिषद् हेल्पलाइन नम्बर : 1800-180-5333 (टोल फ्री)
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध है।